

## Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22-04-2018 <b>खण्डपीठ क0 23</b>	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।</p> <p>राज्य द्वारा एडीपीओ उप0 आरोपी अनुपस्थित की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0।</p> <p>फरियादी किशनलाल उप0। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गई है।</p> <p>आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु डॉकेंट प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उक्त धारार्य न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी किशनलाल ने आरोपी से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी कैलाश को भाद0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 27.04.18 निरस्त की गई। आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	<p>किशनलाल व्यवस्थापक</p> <p><i>(Signature)</i> राजवेन्द्र</p>

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

*(Signature)*

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क0 23 गोहद